अनुदान संख्या 86 – सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
GRANT No. 86–MINISTRY OF MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**					
स्वीकृत-	Voted–					
मूल	Original	585,41,00		589,49,00	486,34,70	–103,14,30
पूरक	Supplementary	4,08,00				
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					83,81,00
पूंजीगत:	**Capital:**					
स्वीकृत-	Voted–					
पूरक	Supplementary			1,90,00	85,66	–1,04,34
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year					शून्य Nil

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, कुल बचतें (10314.30 लाख रु.) अगस्त, 2007, नवंबर, 2007 और मार्च, 2008 में प्राप्त किए गए 408.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 17 प्रतिशत थीं।

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, the overall savings (Rs.10314.30 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.408.00 lakhs obtained in August, 2007, November, 2007 and March, 2008 and constituted 17 percent of the total sanctioned provision.

Savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2552''	Major Head "2552"				
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	North Eastern Areas				
मू.	O.	5385.00	54.00	..	–54.00
पु.	R.	–5331.00			

				कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
शीर्ष	Head					
मुख्य शीर्ष ''2851'' ग्राम तथा लघु उद्योग	Major Head "2851" Village and Small Industries					
मू.	O.	52698.00				
पू.	S.	406.00		48670.13	48221.23	–448.90
पु.	R.	–4433.87				

(I) 5387.00 लाख रु. का प्रावधान (दो शीर्षों के अंतर्गत 2.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) तेरह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 5200.00 लाख रु. मुख्य शीर्ष ''2552'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(का) ''ग्राम और लघु उद्योग - लघु उद्योग'' -

(क) ''विपणन सहायता स्कीम'' - 150.00 लाख रु.;

(ख) ''प्रौद्योगिकी सहयोग संस्था एवं कार्यक्रम की गुणवत्ता'' - 1600.00 लाख रु.;

(ग) ''संवर्धन सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम'' - 300.00 लाख रु.;

(घ) ''एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ'' - 680.00 लाख रु.;

(ङ) ''ऋण सहायता कार्यक्रम'' - 2120.00 लाख रु.;

(च) ''आधारभूत आंकड़ों का अद्यतन किया जाना'' - 200.00 लाख रु. ; और

(खा) ''ग्राम और लघु उद्योग - अन्य व्यय - प्रशिक्षण संस्थाएं'' - 150.00 लाख रु.।

(I) Provision of Rs.5387.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs under two heads) remained wholly unutilised under thirteen heads; of these Rs.5200.00 lakhs accounted for under Major Head "2552" - under the following heads:-

(A) "Village and Small Industries – Small Scale Industries" -

(a) "Marketing Assistance Scheme" - Rs.150.00 lakhs;

(b) "Quality of Technology Support Institution & Programme" – Rs.1600.00 lakhs;

(c) "Promotional Service Institutions and Programmes" - Rs.300.00 lakhs;

(d) "MSME Clusters Development Programmes and MSME Growth Poles" – Rs.680.00 lakhs;

(e) "Credit Support Programme" – Rs.2120.00 lakhs;

(f) "Updation of Data Base - Rs.200.00 lakhs; and

(B) "Village and Small Industries – Other Expenditure - Training Institutions" – Rs.150.00 lakhs.

उपर्युक्त सात शीर्षों के अंतर्गत प्रावधान पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों/निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण अप्रयुक्त रहा।

(II) मुख्य शीर्ष "2851" के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(का) "लघु उद्योग" -

(क) "प्रौद्योगिकी सहायता संस्था और कार्यक्रम की गुणवत्ता" - 439.10 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 14401.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम स्कीम से स्वायत्त निकायों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के संबंध में प्रशिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति को समायोजित किए जाने के कारण हुई।

(ख) "संवर्धन सेवा संस्थाएं और कार्यक्रम" - 321.37 लाख रु. की बचत (1.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित 2701.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) उद्योग संघों से खराब प्रतिक्रिया आने और स्कीम के मूल्यांकन अध्ययन से छूट के लिए वित्त मंत्रालय से विलंब से अनुमोदन प्राप्त होने के कारण हुई।

(ग) "एमएसएमई समूह विकास कार्यक्रम और एमएसएमई विकास स्तंभ" - 4425.33 लाख रु. की बचत (6120.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) राज्य सरकारों द्वारा साझा सुविधा केंद्रों की स्थापना न किए जाने के कारण हुई।

(घ) "विपणन विकास सहायता कार्यक्रम" - 261.05 लाख रु. की बचत (400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) बौद्धिक संपदा में निवेश के लिए राष्ट्रीय अभियान जैसी उप-स्कीम को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(ङ) "आधारभूत आंकड़ों का उन्नयन" - 1235.60 लाख रु. की बचत (1800.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान

Provisions under the above seven heads remained unutilised due to re-appropriation of part funds/funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(II) Under Major Head "2851" - savings occurred under the following heads:-

(A) "Small Scale Industries" -

(a) "Quality of Technology Support Institution and Programme" – saving of Rs.439.10 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.14401.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to adjustment of reimbursement of training fee in respect of SC/ST candidates to Autonomous bodies from the National Minimum Common Programme Scheme.

(b) "Promotional Service Institutions and Programmes" – saving of Rs.321.37 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2701.00 lakhs including token supplementary grant of Rs.1.00 lakh) was due to poor response from Industry Associations and late receipt of approval from Ministry of Finance for exemption from evaluation study of the scheme.

(c) "MSME Cluster Development Programmes and MSME Growth Poles" – saving of Rs.4425.33 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.6120.00 lakhs) was due to non-setting up of Common Facility Centres by the State Governments.

(d) "MDA Programme" – saving of Rs.261.05 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.400.00 lakhs) was due to non-approval of sub-scheme viz. National Campaign for investment in intellectual property

(e) "Upgradation of Data base" - saving of Rs.1235.60 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1800.00 lakhs) was due to

की तुलना में) सांख्यिकी संग्रहण उप-स्कीम के लिए मूल्यांकन अध्ययन कराए जाने के लिए वित्त मंत्रालय से विलंब से छूट दिए जाने के कारण हुई।

(खा) ''अन्य व्यय'' -

(क) ''लघु एवं मध्यम उद्यमों के बीच अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का संवर्धन'' - 133.53 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) दसवीं पंचवर्षीय योजना से ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना तक स्कीम को जारी रखने के लिए विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने के कारण हुई।

(ख) ''सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों का संवर्धन एवं नियंत्रण'' - 649.84 लाख रु. की बचत (675.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम को विलंब से अनुमोदन प्रदान किए जाने और शुरू किए जाने के कारण हुई।

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2072.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसाकि मुख्य शीर्ष ''2851'' - ''लघु उद्योग - ऋण सहायता कार्यक्रम'' के अंतर्गत 406.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2071.65 लाख रु. था।

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''2851'' - ''लघु उद्योग'' के अंतर्गत निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(का) ''लघु उद्योग सेवा संस्थान'' - 356.11 लाख रु. का अधिक व्यय (4044.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(खा) ''राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड'' - 199.77 लाख रु. का अधिक व्यय (404.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 2204.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''2552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

late exemption from Ministry of Finance for conducting of evaluation study for sub-scheme Collection of Statistics.

(B) "Other Expenditure" –

(a) "Promoting International Co-operation among small & medium Enterprises" – saving of Rs.133.53 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to late approval for the continuation of the scheme from Xth Plan to XIth Plan.

(b) "Promotion and Hand Holding of Micro and Small Enterprises" – saving of Rs.649.84 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.675.00 lakhs) was due to late approval and launching of the scheme.

2.(I) The above savings were partly (Rs.2072.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.406.00 lakhs under Major Head "2851" – "Small Scale Industries – Credit Support Programme". Actual excess, however, was Rs.2071.65 lakhs.

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2851" – "Small Scale Industries" - under the following heads:-

(A) "Small Industries Service Institutes" – excess of Rs.356.11 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.4044.00 lakhs); and

(B) "National Small Industries Corporation Ltd." – excess of Rs.199.77 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.2204.00 lakhs including supplementary grant of Rs.404.00 lakhs).

Excess under the above two heads was due to re-appropriation of funds from Major Head "2552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (104.34 लाख रु.) अगस्त, 2007 में प्राप्त किए गए 190.00 लाख रु. के पूरक अनुदान का 55 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.104.34 lakhs) constituted 55 percent of the supplementary grant of Rs.190.00 lakhs obtained in August, 2007.

बचत निम्नलिखित मुख्य शीर्ष के अंतर्गत हुईं:-

Saving occurred under the following major head:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
मुख्य शीर्ष "4059" लोक निर्माण कार्य पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4059" Capital Outlay on Public Works				
पू.	S.	190.00	190.00	85.66	–104.34

(I) "कार्यालय भवन - अन्य व्यय - कार्यालय आवास का निर्माण - ग्राम और लघु उद्योग" के अंतर्गत पूरक अनुदान प्राप्त करके 190.00 लाख रु. की निधियां उपलब्ध कराई गईं थीं, तथापि, जो कुछ परीक्षण केंद्रो पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा कार्य पूरा न किए जाने के कारण 104.34 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहीं।

(I) Under "Office Buildings – Other Expenditure – Construction of Office Accommodation – Village and Small Industries" – funds of Rs.190.00 lakhs were provided by obtaining supplementary grant which, however, remained unutilised to the extent of Rs.104.34 lakhs – due to non-completion of work by Central Public Works Department at some Testing Centres.